359

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक:– प. 5(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक: 19-08-2010

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

इस विभाग की अधिसूचना कमांक 7(2)कार्मिक/क–2/06 दिनांक 5.7.2010 द्वारा संबंधित नियमों यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 एवं राज0 लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार कनिष्ठ लिपिक पद हेतु अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वारा सीनियर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होने के साथ कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किये जाने की अहर्ता होना अनिवार्य है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करते समय मृतक के आश्रित के पास भी उक्त योग्यता का होना आवश्यक है। अतः मृतक के आश्रित को नियुक्ति से पूर्व 6 माह की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि उक्त अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता प्राप्त कर सके। उक्त योग्यता प्राप्त करने के उपरान्त ही मृतक के आश्रित को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 में वर्णित टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 5.7.2010 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

अतः समस्त नियुक्ति अधिकारियों/प्राधिकारियों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली नियुक्ति में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

19/8/10
(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राज0 जयपुर को इस विभाग का परिपत्र कमांक प. 3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.7.99 के कम में सूचित किया जाता है कि इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.7.10 को एवं उसके पश्चात मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्मिकों की टंकण परीक्षा का आयोजन अग्रिम आदेशों तक न करें।

शासन उप सचिव

36/2010

360

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

36/2010